चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः- सम्बद्धता/2673

दिनांकः- 05.04.2003

सचिव,
मेवाड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
गाजियाबाद।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 251/जी0एस0 दिनांक 20.03.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन मेवाड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्ता को सुनिश्चित करेगी एंव परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत परिनियमों में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो तथा मानको के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था का निरीक्षण अगले सत्र में कराया जायेगा तथा विश्वववद्यिालय द्वारा यह निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र सहित महामहिम कुलाधिपति के अवलोकनार्थ/निस्तारणार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो तथा मनाको की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ,1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(4) एंव धारा 37(5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
5. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस,शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश: संख्या: 1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एंव अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-2003 से उपरोक्त शर्तो के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/79
दिनांक : 06 अप्रैल, 2009

सचिव,
मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
सेक्टर–4सी, वसुन्धरा, दिल्ली–गाजियाबाद लिंक रोड,
गाजियाबाद

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2009 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में **मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेक्टर–4सी, वसुन्धरा, दिल्ली–गाजियाबाद लिंक रोड, गाजियाबाद** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **सत्र 2008–2009 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान कर दी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निम्नवत है :–

"...Aforesaid Section 15 of the Act does not have any analogous provision like sub section (4) or (6) of Section 14 and therefore, looking to the scheme of the Act, we are prima-facie of the opinion that once recognition has been granted by the NCTE to the course (B.Ed Course) with respect to any n mber of seats for any academic session for which affiliation, by the University has also been granted and if recognition still continues and during subsistence of the recognition, if institution prays for additional seats and if additional seats are also permitted by the NCTE under Section 15 of the Act, there would be no occasion for the State Government to grant approval again before the affiliation permission is granted by the University for these additional seats.

There apparently appears to be no role of the State Government where the institution with duly recognized course of B.Ed by the NCTE to which affiliation of the course has also been granted, in the matter of allowing intake of additional seats to such an existing course, it being a matter between the NCTE and the Vice-Chancellor as per the provisions of Section 15 of the NCTE Act and the statues of the University.

"...We, therefore, further provide that the counselling if it is possible of such eligible institutions be included in the present counselling which is going on and if for any reason, it is not possible to include these institutions in the on going counselling, then steps would be taken to complete the counselling without any delay at the earliest which should be completed by 31.03.2009.

The aforesaid interim order shall be subject to the further orders of this Court."

1. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेक्टर–4सी, वसुन्धरा, दिल्ली–गाजियाबाद लिंक रोड,** गाजियाबाद को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **सत्र 2008–2009 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. डा0 आई0आर0एस0 सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव